



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4540]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 4540]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5759(अ).—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ **मैसर्स चारुतर आरोग्य मण्डल, गुजरात, (पैन: AAATC1264G)** नामक संगठन को निर्धारण वर्ष **2019-20 और इससे आगे की अवधि के लिए** केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्यों से जुड़े **“विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान”** की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः:-

- (i) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा।
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने पंजीकृत छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में **अलग लेखा बहियां** रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण, में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

- (iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा, ऐसे दान उपयोग केवल मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।
- (v) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के तहत संगठन द्वारा प्राप्त किए गए दान का प्रयोग केवल मूलभूत वैज्ञानिक शोध के लिए ही किया जाएगा तथा अस्पताल की कार्यवाहियों, सामान्य शैक्षिक गतिविधियों (शोध के अलावा) रोगियों के इलाज से संबंधित गतिविधियों या संगठन के किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा;
- (vi) अनुमोदित संगठन, धारा 139 की उपधारा (1) के तहत आयकर प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक, आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को एक ब्यौरा प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:-

- इस संगठन द्वारा शोध कार्य पर पिछले वर्ष किए गए कार्य का विस्तृत ब्यौरा;
- राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय जर्नलों में वर्ष के दौरान, प्रकाशित शोध लेखों का संक्षिप्त विवरण;
- वर्ष के दौरान पंजीकृत कोई पेटेंट या उसके लिए लागू उस जैसा अन्य अधिकार;
- इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने वाले शोध योजनाओं का कार्यक्रम।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित **अलग लेखा बहियां** रखने में असफल रहता है; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (घ) अपने अनुसंधान कार्य कलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य कलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा
- (ङ.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं तथा उनका पालन नहीं करता है।